समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: आ दे श :—

पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के ज्ञापांक 933/अप0शा0 दिनांक 04.08.2008 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी एवं कर्मचारियों द्वारा एन0एच–57 के निर्माण के क्रम में अधिग्रहित भूमि मुआवजा वितरण में लाभान्वितों को नाजायज आर्थिक लाभ पहुँचाकर सरकार को भारी आर्थिक क्षति पहुँचाने के आरोप में निगरानी थाना काण्ड संख्या–42/2008 दिनांक 15.07.08 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री जीवछ यादव, अमीन, हरलाखी अंचल प्रतिनियुक्त जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी को दिनांक 15.07.2008 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

उक्त सूचना के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञापांक 163मु0/जि0स्था0, दिनांक 12.08.2008 के द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 99 एवं सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग (IV) के नियम –9 उप नियम–1 के (ग) के अनुसार नियम(ख) के आलोक में श्री जीवछ यादव, अमीन, हरलाखी अंचल प्रतिनियुक्त जिला भू–अर्जन कार्यालय, मधुबनी को न्यायिक हिरासत की तिथि 15.07.2008 के प्रभाव से निलंबित करते हुए, उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' गठित की गयी। पुलिस अधीक्षक, निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) पटना के पत्रांक 1087/अ0शा0 दिनांक 01.09.2008 से अनुशंसा के साथ निगरानी थाना काण्ड संख्या 42/2008 में संलग्न प्रतिवेदनानुसार श्री यादव, अमीन के विरूद्ध धारा–467/468/471/477(ए)/409/420/120 (बी0)भा0द0वि0 एवं धारा–13 (2) सह पठित धारा–13 (1)(डी0) भ्र0नि0अधि0 1988 के अन्तर्गत आरोप लगाया गया है तथा श्री यादव के विरूद्ध 13 (1) (डी)भ्र0नि0अधि0 1988 के अन्तर्गत आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। अतएव दण्ड प्रक्रिया की संहिता 197 एवं भ्र0नि0अधि0–1988 की धारा–19 (1) (सी0) के आलोक में श्री यादव, अमीन के विरूद्ध उपर्युक्त धारा के अन्तर्गत सक्षम विधि न्यायालय में विचारण हेतु अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई, जो ज्ञापांक 109मु0/जि0विधि, दिनांक 24.10.2008 द्वारा संसूचित है। श्री यादव, अमीन के विरूद्ध गठित आरोप प्रपत्र–''क'' के अनुमोदनोपरान्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 891/स्था0, दिनांक 10.08.2009 के द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास को संचालन पदाधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक (सामान्य) मधुबनी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अंचल अधिकारी, हरलाखी के पत्रांक 79 दिनांक 18.03.09 के द्वारा सूचित किया गया कि श्री जीवछ यादव, अमीन न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा होने के बाद दिनांक 08.12.2008 को अंचल कार्यालय, हरलाखी में योगदान समर्पित किया है एवं योगदान संबंधी आवेदन मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया। उक्त आवेदन पत्र के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम (1) उप नियम–(2) के अनुसार श्री यादव, अमीन को निलम्बन से मुक्त करते हुए अंचल कार्यालय, बासोपट्टी में पदस्थापित किया गया। श्री यादव, अमीन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से सम्बन्धित संचिका दिनांक 12.10.2012 को समाहरणालय में हुई अग्निकाण्ड में जल जाने के कारण श्री यादव के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' का पुर्नसंधारण किया गया। चूंकि श्री यादव, अमीन दिनांक 30.06.2010 को सेवानिवृत हो चुके हैं एवं सेवानिवृति के पूर्व से ही विभागीय कार्यवाही चल रही है, अतएव उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (ख) के तहत स्वतः परिवर्तित की गई। पुर्नसंधारित आरोप प्रपत्र–''क'' के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 275/जि0स्था0, दिनांक 14.02.14 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को संचालन पदाधिकारी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मधुबनी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

विभागीय कार्यवाही संचालनोपरान्त अपर समाहर्त्ता, मधुबनी के पत्रांक 98/जि0रा0 दिनांक 25.06.14 के द्वारा अभिलेखवद्ध जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। श्री यादव, अमीन, अंचल बासोपट्टी (से0नि0) के विरूद्ध गठित आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी का जॉच प्रतिवेदन/ मंतव्य का संक्षिप्त विवरण निम्नप्रकार है :–

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

इस सम्बन्ध में आरोपी का कहना है कि अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुझे एवं मेरे सहपाठी (अमीन) को सकरी में एन.एच.–57 से संबंधित स्थल की जॉच करने हेतु पदाधिकारी के साथ दिनांक 14.07.08 को अपराह्न 3.00 बजे प्रस्थान किये। अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केवल एक मकान का जॉच करने के समय पुलिस बल आ गया और हम सबों को गाड़ी में बैठाकर पटना ले गया एवं दिनांक 15.07.08 को सुबह में सभी पर केश दायर कर हिरासत में ले लिया गया। न्यायिक हिरासत के अवधि को स्वतः निलंबित अवधि माना गया है।

उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष :–

आरोप संख्या–03 के सम्बन्ध में आरोप निगरानी विभाग के पुलिस अनुशंधान से सम्बन्धित है, जिसके आलोक में कार्रवाई की गयी है। इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ पक्ष नहीं रखना है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः–

यह पुलिस अनुसंधान से सम्बन्धित है जिस पर कृत कार्रवाई का उल्लेख गठित आरोप में है।

आरोप संख्या–04

न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने के फलस्वरूप बिहार सेवा संहिता के नियम–99 एवं सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 भाग–IV के नियम–9 उप नियम–1 (ग) एवं उप नियम–(2) (ख) के अनुसार न्यायिक हिरासत की तिथि 15.07.2008 के प्रभाव से आपको निलंबित किया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

आरोपी का कहना है कि उक्त नियमावली के अनुसार हिरासत अवधि को स्वतः निलंबित प्रतिवेदित है।

उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष :–

आरोप संख्या–04 के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश ज्ञापांक 163मु0/जि0स्था0 दिनांक 12.08.08 स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त इस आरोप के सम्बन्ध में उन्हें कुछ पक्ष नहीं रखना है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–

आरोपी कर्मी के न्यायिक हिरासत में रहने के कारण निलंबन आदेश से संबंधित है।

आरोप संख्या–05

आपके द्वारा सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी सेवक नियमावली के विरूद्ध कार्य की गयी है। आपका आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–3 (1) का उल्लंधन है क्योंकि आपके द्वारा गंभीर कदाचार किया गया है एवं कर्त्तव्यहीनता प्रदर्शित की गयी है।

आरोपी का स्पष्टीकरण :–

आरोपी का स्पष्टीकरण है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक 163मु0 दिनांक 12.08.2008 के द्वारा मुझ पर लगाये गये आरोप तथ्यहीन एवं न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवेदित आरोप का बिना जॉच किये, बिना साक्ष्य का अवलोकन किये मुझ जैसे छोटे कर्मचारी पर आरोप लगाने की कृपा की है। इस घटना से पूर्व मेरे उपर किसी प्रकार का विभागीय या अपराधिक मामला गठित नहीं है। इस हेतु मेरे सेवापुस्त के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा कि अनुशासन में रहकर श्रीमान् के आदेशानुसार अपने कार्य का निर्वहन कर सेवानिवृत हुआ।

उपस्थापन पदाधिकारी का पक्ष :–

आरोप संख्या–05 के सम्बन्ध में उपस्थापन पदाधिकारी ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अपना मंतव्य दिया कि श्री जीबछ यादव द्वारा मुआवजा भुगतान के क्रम में जालसाजी एवं धोखाधरी कर सरकार को क्षति पहुँचाया गया है, जिसके सम्बन्ध में आरोप संख्या–01 पर प्रस्तुत पक्ष स्पष्ट है। श्री यादव का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली–3 (1) के विपरीत है।

संचालन पदाधिकाकरी का मंतव्य :–

आरोपी का स्पष्टीकरण संतोष जनक नहीं है। आरोप संख्या–05 प्रमाणित पाया गया।

कर्त्तव्यहीनता एवं भू–धारियों से मिली भगत कर गलत भुगतान को दर्शाता है। जिला पदाधिकारी द्वारा इन्हें निलंबित किया गया। इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गयी है।

आरोपी कर्मी ने अपने बचाव हेतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण में लिखा है कि तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उनके विरूद्ध पूर्व में भी विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फुलपरास विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त थे, जिन्होंने विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में उन्हें दोषी नहीं पाया है। साथ ही इनका यह भी तर्क है कि यह वाद न्यायिक प्रकियाधीन है, जबतक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तबतक दोषी मान लेना न्यायोचित नहीं होगा।

प्रपत्र–''क'' में गठित आरोप, आरोपी कर्मी द्वारा उसके खण्डन में प्रस्तुत स्पष्टीकरण, उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पक्ष एवं समर्पित प्रतिवेदन, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिसीलन से स्पष्ट है कि एन0एच0 निर्माण हेतु भू–अर्जन मुआवजा के भुगतान में आरोपी कर्मी द्वारा गलत प्रतिवेदन देकर सरकार को आर्थिक क्षति पहुॅचायी गयी है। विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाया गया है।

अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 (3) के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक 1317/जि0स्था0, दिनांक 22.08.14 के द्वारा आरोपी से द्वितीय कारण पृच्छा की मॉग की गयी।

आरोपी के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में इन्होने पूर्व में दिये गये स्पष्टीकरण को दोहराते हुए इनका कहना है कि निगरानी विभाग द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आधार पर ही विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है। मैं अमीन के पद पर कार्यरत था, किस आदेश के तहत, किस जमीन का मापी मेरे द्वारा किया गया, जमीन का वर्गीकरण निर्धारित कर प्रतिवेदन दिया, किस पदाधिकारी के द्वारा इसे जॉच किया गया, सत्यापन किया गया, किस राजपत्रित पदाधिकारी के द्वारा मुआवजा निर्धारित कर भू–धारियों को भुगतान किया गया। निगरानी विभाग द्वारा गलत पाया गया तो अधिग्रहित भूमि का कितना मूल्य निर्धारित किया गया और अधिक भुगतान की गयी राशि वसूली हेतु सरकार को निलाम पत्र की कार्रवाई कर वसूली की कार्रवाई करनी पड़ी। इन सारी बातों का उल्लेख कर आरोप निर्धारित किया जाना चाहिए, इसमें मेरी सहभागिता कितनी हैं, इसका उल्लेख होना चाहिए।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित है। चूॅकि इस मामले में निगरानी थाना काण्ड संख्या 42/2008 दिनांक 15.07.2008 से स्पष्ट है कि श्री जीवछ यादव के मिली भगत से मधुबनी जिलान्तर्गत एन.एच.–57 के निर्माण के क्रम में अधिग्रहित भूमि मुआवजा वितरण में सुनिश्चित तरीके से ग्रामीणों को उकसाकर मुआवजा राशि की दर को बढ़ाकर अधिक राशि का भुगतान करने संबंधी ऐसा तरीका तैयार किया गया, जिससे सरकार को करोड़ो रूपये की क्षति हुई एवं श्री यादव को व्यक्तिगत रूप से लाभ हुआ। अतएव आरोपी का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार आरोपी श्री यादव, अमीन का कृत्य संदिग्ध निष्ठा का परिचायक है तथा भूमि के स्वरूप/प्रकृति से सम्बन्धित गलत प्रतिवेदन देकर कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरती है तथा निजी लाभ हेतु कार्य कर सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय कार्य किया है एवं अपने कृत्य से सरकार को गंभीर आर्थिक क्षति पहुॅचाई है, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) का भी पूर्ण उल्लंधन है, जो अधिकतम दण्ड का भागी बनता है, एतद् स्वरूप इन्हें मात्र अधिकतम दण्ड दिया जा सकता है।